

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक:- F 11 (3) / मो. / इन्फ्रा / ICDS / 2018 / 137357-390 जयपुर, दिनांक: 26/07/18
उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय:- दिनांक 30.07.2018 को ओडीएफ निरन्तरता (ODF-S) स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 (SSG2018) एवं महावारी प्रबन्धन (MHM) के संबंध में आयोजित कार्यशाला में भाग लेने बाबत।
संदर्भ:- प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज का पत्र क्रमांक 1630 दिनांक 23.07.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा दिनांक 30.07.2018 को प्रातः 9:30 बजे से 6:30 बजे तक ओडीएफ निरन्तरता (ODF-S) स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 (SSG2018) एवं महावारी प्रबन्धन (MHM) के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यशाला राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान दूर्गापुरा जयपुर में आयोजित की जा रही है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यशाला में उपस्थित होना सुनिश्चित करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- F 11 (3) / मो. / इन्फ्रा / ICDS / 2018 / 137391-92 जयपुर, दिनांक: 26/07/18
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. एसीपी कम्प्यूटर सौल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the date '24/7' and 'A.S.O.'.

क्रमांक : एफ 4 परावि/SBM(G)/2018-19/Trg-state level / 1630

दिनांक : 23-07-2018

जिला कलक्टर,
जिला -समस्त।

विषय :- दिनांक 30.07.2018 को ओडीएफ निरन्तरता(ODF-S), स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018(SSG2018) एवं माहावारी स्वच्छता प्रबन्धन(MHM) के संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रतिभागियों को भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा के अनुरूप राज्य द्वारा 31 मार्च, 2018 को खुले में शौच से मुक्त का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।


उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति आपके एवं सहयोगी जिला प्रशासन के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। इस हेतु आप बधाई के पात्र हैं, परन्तु खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति की मूल भावना सम्पूर्ण व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता के मानको के अनुरूप बनाए रखने के लिए स्वच्छता के विभिन्न घटक यथा खुले में शौच से पुनरावृत्ति पर रोक (Slip-back), सक्रिय निगरानी समिति, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) एवं माहावारी स्वच्छता प्रबंधन (Menstruation Hygiene Management) पर विशेष ध्यान दिया जाना है।

भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के मानको के अनुरूप समस्त जिलों की रैंकिंग के लिए स्वतंत्र एजेन्सी के द्वारा दिनांक 01 अगस्त से 30 अगस्त, 2018 तक स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 सर्वे करवाया जा रहा है। इस रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले जिलों एवं राज्यों को 02 अक्टूबर 18 को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त एजेन्डा अनुसार दिनांक 30.07.2018 को प्रातः 9.30 से 6.30 बजे तक राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है जिसमें जिले से निम्न अधिकारियों को नियत दिनांक 30.07.2018, प्रातः 9.30 पर उपस्थिति हेतु निर्देशित कर संभागीयों की उपस्थिति सुनिश्चित करावें :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
2. अतिरिक्त, जिला कलक्टर एवं प्रभारी, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)।
3. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)।
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
7. सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग।
8. जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।

Handwritten signature of Rajeshwar Singh, followed by the text: (राजेश्वर सिंह) प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)



प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला, (जिला परिषद् -समस्त)।
10. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), जिला-(समस्त)।
11. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग(जिला-समस्त)।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (जिला-समस्त)।
13. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, (जिला-समस्त)।
14. सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, (जिला परिषद् - समस्त)।
15. जिला परियोजना समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन, (जिला परिषद् -समस्त)।
16. विकास अधिकारी पंचायत समिति - (समस्त)।

निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)